अत्यावश्यक

निबंधित

पत्र सं0—17/विविध—11—19/2015:—

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग।

पटना, दिनांक—

विषयः— **जल संसाधन विभाग के योजनाओं के क्रियान्वयन में भू—अर्जन में उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि इस विभागान्तर्गत चल रही योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह बात प्रकाश में आई है कि योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भू—अर्जन के पश्चात् जमीन का आधिपत्य अधियाची पदाधिकारी को सौंप दिया जाता है, पर वस्तुतः मुआवजे का भुगतान शत—प्रतिशत न होने के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन में स्थानीय व्यक्तियों द्वारा विरोध किया जाता है जिसके करण योजनाओं का कार्यान्वयन समयानुसार नही हो पाता है। यह भी पाया गया है कि भू—अर्जन के दौरान गैर मजरूआ/बकास्त भू—भाग को छोड़कर भू—अर्जन का कार्य संपादित किया गया है, पर उन भू—खंडों पर किसी—न—किसी रैयतों एवं किसानों द्वारा अपना दावा जताते हुए परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधाएँ पहुंचाई जाती है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प सं0—925 (6)रा0 दि0—11.11.2014 के द्वारा स्पष्टतः दिशानिर्देश निर्गत किये जा चुके है एवं इस मामलों में गैर मजरूआ एवं बकास्त भूमि के संबंध में रैयतों के दावों के निर्धारण हेतु समाहर्त्ता की शक्ति भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक—613 (6)रा0 दि0—17.06.15 के द्वारा सौंपी जा चुकी है। अर्थात गैर मजरूआ मालिक/सरकारी भूमि/बकास्त भूमि पर रैयतों के दावों के निष्पादन की कार्रवाई अंतिम रूप से संबंधित भूमि उप समहर्त्ताओं द्वारा की जाती है।

2. इस विभाग की योजनाओं में भू—अर्जन के कार्यो को त्वरित गति से निष्पादन हेतु निम्नांकित कार्रवाईयां की जानी हैः—

(i) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प सं0—925 (6)रा0 दि0—11.11.14 एवं पत्रांक—613 (6)रा0 दि0—17.06.15 में दिये गये दिशानिर्देश के आलोक में विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी अभिलेखवार सरकारी गैर मजरूआ मालिक/सरकारी भूमि/बकास्त भूमि को चिन्हित करेंगे, साथ—ही—साथ संबंधित कार्यपालक अभियंता से किसी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता के संबंध में पूछकर उसकी अधियाचना प्राप्त करेंगे। अधियाचना प्राप्ति के बाद वे उक्त क्षेत्र के भूमि सुधार समाहर्त्ता से रैयतों के दावों के निष्पादन हेतु विधिवत तरीके से अनुरोध करेंगे। संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा रैयतों के दावों के निष्पादन के पश्चात् विशेष भू—अर्जन पदाधिकारी उक्त भूमि को लीज नीति/भू—अर्जन नीति के तहत उक्त भू—भाग का अर्जन कर उसका विधिवत आधिपत्य संबंधित अधियाची पदाधिकारी को सौंपेंगे।

Shri Awdhesh. C.Cell for website

EE3 4/1/16

डायरी नं० 02 5-1-15 दिनांक .... पटना

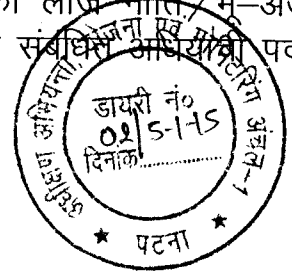

(ii) जिन परियोजनाओं में भू–अर्जन के पश्चात् किसानों/पंचाटियों को मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है उसमें जिन भू–भागों में पुराने भू–अर्जन अधिनियम–1894 के तहत अर्जन किया गया है। उसमें जहां भूमि विवाद के कारण भुगतान किये जाने में कठिनाई हो रही है। वहां उक्त अधिनियम की धारा–30 एवं 31 के तहत कार्रवाई की जाय। अर्थात जहां भिन्न–भिन्न दावाकर्त्ताओं में स्वत्व (Title) के मामले का विवाद है। उन मामलों में धारा–30 के तहत मामले को न्यायालय में रेफर कर उक्त मामलें से संबद्ध मुआवजा राशि भी न्यायालय में जमा की जाय।

(iii) विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भूमि की प्राप्ति भू–अर्जन अधिनियम–2013 के अतिरिक्त बिहार रैयती लीज नीति–2014 के अन्तर्गत भी की जानी है। इस मामले में निदेश दिया जाता है कि सभी कार्यपालक अभियंता अपने अधीन कार्यान्वयित परियोजनाओं के अन्तर्गत समीक्षा के पश्चात् यह सुनिश्चित हो लेंगे कि जो भूमि आसानी से लीज नीति के अन्तर्गत प्राप्त की जा सकती है, अर्थात जिन भूमि से संबद्ध रैयत–धारी भूमि देने को सहमत हो, उन मामलों में लीज नीति के तहत भूमि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा संबंधित विशेष भू–अर्जन पदाधिकारियों को दी जायेगी। संबंधित विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी लीज नीति के तहत प्रस्ताव के आलोक में बिहार रैयती लीज नीति के प्रावधानों के तहत विभागीय स्वीकृति प्राप्त करने के साथ–साथ समस्त कार्रवाई करेंगे। वे संबंधित भू–धारियों को नियमानुसार राशि का भुगतान करेंगे एवं लीज नीति के तहत लीज डीड का अंतिम रूप से निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। विभाग की ओर से उन्हें इस हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

(iv) भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 के अन्तर्गत सामाजिक मूल्यांकन प्रभाव आकलन का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प सं0–647 दि0–09.05.14 के द्वारा इस कार्य हेतु एल0एन0 मिश्रा आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्त्तन पटना, ए0एन0 सिन्हा, समाज अध्ययन संस्थान पटना, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना एवं आद्री पटना को प्राधिकृत किया गया है। उक्त प्रावधान के आलोक में इस विभागान्तर्गत की जा रही भू–अर्जन की योजनाओं में एकरूपता तथा समरूप पर्यवेक्षण हेतु सामाजिक मूल्यांकन प्रभाव आकलन के लिए आद्री पटना को इस कार्य हेतु चयनित किया जाता है।

3. **अनुरोध है कि उपर्युक्त दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन वर्णित प्रावधानों के अनुरूप किया जाय एवं की गई कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराया जाय।**

विश्वासभाजन
ह0/–
(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 2109 पटना, दिनांक– 31.12.15

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख, (उत्तर एवं दक्षिण)/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता मोनेटरिंग 1,2,3,4 एवं बाढ़ अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव
30/12

(18)